

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक-07.03.2023

थाना मिलक:- पॉक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 04.03.2023 को थाना मिलक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 33/2023 धारा 354 ख भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नरोत्तम पुत्र श्यामलाल नि0 ग्राम पीपलसाना थाना मिलक जनपद रामपुर को आज दिनांक 07.03.2023 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा ग्राम गुलडिया भाट भट्टे से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 उदयवीर सिंह

हे0का0 291 अरुण कुमार।

थाना मिलक:- एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 26-02-2023 को थाना मिलक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2023 धारा 147/149/364/307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मनीश कुमार पुत्र रवि कुमार नि0 ग्राम धनेली पूर्वी थाना मिलक जनपद रामपुर को आज दिनांक 07.03.2023 थाना मिलक पुलिस द्वारा नवदिया चौराहा कस्बा मिलक से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 सुरेश चन्द्र

का0 637 परवेन्द्र सिंह।

थाना कैमरी:- दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार-

दिनांक 05.03.2023 को थाना कैमरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-22/2023 धारा-376/452/354क/352/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट के आरोपी अनीश पुत्र रहीश अहमद निवासी ग्राम मेघानगला जदीद थाना कैमरी जनपद रामपुर को आज दिनांक 07.03.2023 को थाना कैमरी, रामपुर पुलिस द्वारा ग्राम रास डंडिया चौराहे से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभि0 का नाम:-

1. अनीश पुत्र रहीश अहमद निवासी ग्राम मेघानगला जदीद थाना कैमरी जनपद रामपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम के नाम:-

1). प्र0नि0 श्री शिव प्रभात सिंह

2). उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह

3). का0 862 ब्रजपाल सिंह

4). का0 244 सुमित कुमार

5. म0का0 503 छवि।

पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर भाड़े के हत्यारो से करायी अपने विधुत कर्मी पति की हत्या मामले में थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा हत्या का मुख्य आरोपी (सुपारी किलर) अपने साथी सहित गिरफ्तार, हत्या मे प्रयुक्त रस्सी, मृतक का मोबाईल फोन व पर्स के जले अवशेष बरामद:-

थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-37/23 धारा-302/201/120बी/34 भादवी में वांछित अभि0गण अरुण व रवि की गिरफ्तारी शेष थी। दिनांक 06.03.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभि0 अरुण व रवि को गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा घटना का जुर्म स्वीकार किया तथा निशादेही पर हत्या मे प्रयुक्त

आला कल्ल जली हुई रस्सी के अवशेष ,राजीव का मोबाईल फोन व राजीव के पर्स के जले अवशेष व हत्या की सुपारी के लिए ली गयी धनराशी नगद 27000 रु व सुपारी के लिए ली गयी धनराशी मे से ही खरीदा गया एन्ड्रॉयड फोन बरामद किया गया । अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई ।

नाम व पता अभि०गण-

1. अरूण पुत्र देवेन्द्र निवासी अहमदावाद थाना शहजादनगर जनपद रामपुर ।
2. रवि पुत्र खानचन्द्र निवासी अहमदावाद थाना शहजादनगर जनपद रामपुर ।